आज़ादी का अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त 2022

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

HO/GSD/DAK/2023/00400
March 29, 2023

All Public Sector Banks/Private Sector Banks/HFCs/RRBs/Cooperative Banks
(PLIs who have executed MoU with NHB for PMAY-CLSS)

Madam/Sir,

Sub: PMAY-CLSS (U) - Reg Aadhaar Seeding

As you are aware, as per direction of Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) all Primary Lending Institutions (PLIs) are to comply with 100% Aadhaar seeding. MoHUA in its Review Meeting held on 20-03-2023 advised that the PLIs which are facing issues in Aadhaar compliance may share the same with the Ministry.

Further, it is also advised that PLIs to collect the latest Aadhaar from the beneficiaries and proceed with pending Aadhaar seeding, in case of Error Code 100 - '*Name as per Aadhaar does not match Aadhaar number*', as it was observed that the names passed by PLIs for Aadhaar authentication are incorrect /old names and in these cases the resident has done a recent update of Aadhaar name but the PLI may have older records.

PLIs are advised to be guided as above.

Yours faithfully,

(Sourav Seal)
General Manager

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

एचओ/जीएसडी /डाक/2023/00400
29 मार्च, 2023

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक/आ.वि.कं./क्षे.ग्रा.बैंक/सहकारी बैंक
(पीएलआई जिन्होंने पीएमएवाई-सीएलएसएस के लिए रा.आ.बैंक के साथ मसौदा ज्ञापन निष्पादित किया है)

महोदया/महोदय,

विषय: पीएमएवाई-सीएलएसएस (यू) - आधार सीडिंग के संबंध में

यथासूचित, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं को 100% आधार सीडिंग का अनुपालन करना है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 20-03-2023 को आयोजित अपनी समीक्षा बैठक में सूचित किया कि प्राथमिक ऋणदाता संस्थायें जो आधार अनुपालन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे उक्त को मंत्रालय के साथ साझा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि त्रुटि कोड 100 - 'आधार के अनुसार नाम आधार संख्या से मेल नहीं खाता' के मामले में प्राथमिक ऋणदाता संस्थान लाभार्थियों से नवीनतम आधार एकत्र करें और लंबित आधार सीडिंग के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यह पाया गया था कि पास किए गए नाम आधार प्रमाणीकरण के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा गलत/पुराने नाम हैं और इन मामलों में निवासी ने आधार नाम का हाल ही में अद्यतन किया है लेकिन प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के पास पुराने रिकॉर्ड हो सकते हैं।

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार निर्देशित हों।

भवदीय,

सौरव सील

(सौरव सील)
महाप्रबंधक